

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2016—भाद्र 5, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2015 में संशोधन

क्र. डी-15-34-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 1954 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति कालापीपल के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

नगर पंचायत कालापीपल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.052 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	175/1	4.052
		योग . . . 4.052

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—ग्राम पानखेड़ी.

दक्षिण में—रामनिवास छगनलाल की भूमि.

पूर्व में—कालापीपल-पानखेड़ी पहुंच मार्ग.

पश्चिम में—निजी भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. डी-15-34-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 27th August 2016

AMENDMENT IN NOTIFICATION DATED 25TH AUGUST 2015

No. D-15-34-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Kalapeepal has been established by this department's Notification even dated 18th March, 1954 shall be additional market yard namely :—

PLACE

An area of 4.052 hectore's land of bellow mentioned Khasra number at Municipal Councils Kalapeepal in Tehsil Kalapeepal of District Shajapur :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
1	175/1	4.052
		Total . . 4.052

BOUNDED BY

- On the North by**—Gram Pankhedi.  
**On the South by**—Land of Ramnivas, Chhaganlal.  
**On the East by**—Kalapeepal-Pankhedi approach road.  
**On the West by**—Private Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2015 में संशोधन

क्र. डी-15-34-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 1954 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण कालापीपल, जिला शाजापुर के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर पंचायत, कालापीपल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—
  - (1) पानखेड़ी, (2) भान्याखेड़ी, (3) भरदी, (4) पासीसर, (5) खजुरिया, (6) कालापीपल गांव, (7) आलन्या,
  - (8) इमलीखेड़ा, (9) चारखेड़ी, (10) सादनखेड़ी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. डी-15-34-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 27th August 2016

AMENDMENT IN NOTIFICATION DATED 25TH AUGUST 2015

No. D-15-34-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number, dated 18<sup>th</sup> March 1954 the following area of Kalapeepal of District Shajapur shall be additional market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Municipal Councils Kalapeepal in Tehsil Kalapeepal of District Shajapur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely :—
  - (1) Pankhedi, (2) Bhanyakhedi, (3) Bhardi, (4) Paasisar, (5) Khajuriya, (6) Kalapeepal Gawn, (7) Aalanya, (8) Imlikheda, (9) Charkhedi, (10) Sadankhedi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.